

वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2016-ज्येष्ठ 20, शके 1938

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

##### **CHANGE OF NAME**

My Old name SANGEETA R/o Flat No. 203, Goldy Appt. 223-M, Khatiwala Tank, Indore (M.P.). I have changed my name, my new name is now as SANGEETA MOTWANI W/o KAILASH KUMAR.

Old Name :

(SANGEETA)

(133-B.)

New Name :

(SANGEETA MOTWANI)

W/o Kailash Kumar,

Add : Flat No. 203, Goldy Appt.

223-M, Khatiwala Tank,

INDORE (M.P.).

##### **CHANGE OF NAME**

I, KRISHNA WANTI changed my name to MOHINI KALRA and now I would be known as MOHINI KALRA.

Old Name :

(KRISHNA WANTI)

(134-B.)

New Name :

(MOHINI KALRA)

W/o Late Ochiram

Add : 34-A, Prem Nagar

INDORE (M.P.).

##### **CHANGE OF NAME**

My Old name KAILASH KUMAR R/o Flat No. 203, Goldy Appt. 223-M, Khatiwala Tank, Indore (M.P.). I have changed my name, my new name is now as KAILASH KUMAR MOTWANI.

Old Name :

(KAILASH KUMAR)

(135-B.)

New Name :

(KAILASH KUMAR MOTWANI)

Add : Flat No. 203, Goldy Appt.

223-M, Khatiwala Tank,

INDORE (M.P.).

### नाम परिवर्तन

सूचित हो कि वर्तमान तक मेरा नाम भूपेन्द्र मालवीय पिता श्री कैलाश मालवीय था व मैं इसी नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जाता रहा व मेरा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेख अंकसूची, आई.डी. में दर्ज/अंकित है. अब मैंने अपना नाम भूपेन्द्र मालवीय से परिवर्तित कर अपना नवीन नाम “रोहित मालवीय” पिता श्री कैलाश मालवीय कर लिया है. अब मुझे भविष्य में मेरे नवीन नाम रोहित मालवीय के नाम से जाना व पहचाना व सम्बोधित किया जाये.

पुराना नाम :

( भूपेन्द्र मालवीय )

(136-बी.)

नया नाम :

( रोहित मालवीय )

20/3, परदेशीपुरा, इन्दौर (मध्यप्रदेश).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रितुसिंह का नाम विवाह से पूर्व कु. प्रतिभासिंह पिता श्री परमालसिंह तोमर था. विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती रितुसिंह गौर पत्नि श्री संतोषसिंह गौर हो गया है. आगे मुझे इसी नाम से जाना जावे. सूचनार्थ.

पुराना नाम :

( कु. प्रतिभासिंह )

पुत्री परमालसिंह तोमर,  
निवासी-ई-17, रेडियो कॉलोनी,  
इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(137-बी.)

नया नाम :

( रितुसिंह गौर )

पत्नि श्री संतोषसिंह गौर,  
निवासी-शासकीय पोलीटेक्निक, महाविद्यालय के पीछे  
विदिशा रोड, अशोकनगर (मध्यप्रदेश).

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, संतोष कुमार मालोनिया, आयु 39 वर्ष आत्मज श्री सुरेश कुमार मालोनिया, निवासी बंजारा हिल्स कॉलोनी, होशंगाबाद, तहसील व जिला होशंगाबाद शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा वास्तविक नाम संतोष कुमार मालोनिया (SANTOSH KUMAR MALONIYA) आत्मज श्री सुरेश कुमार मालोनिया है. मेरी कक्षा बी. टेक फोर्थ सेमेस्टर से 8 वे सेमेस्टर तक की अंकसूची में मेरा सरनेम मालोनिया (MALONIYA) के स्थान पर माओनिया (MAONIYA) लिखा गया है, जो गलत है. मेरा वास्तविक सरनेम मालोनिया (MALONIYA) है एवं मेरे अन्य दस्तावेजों में भी मेरा सरनेम मालोनिया (MALONIYA) है. अतः अंकसूची में माओनिया (MAONIYA) के स्थान पर वास्तविक सरनेम मालोनिया (MALONIYA) ही पढ़ा, लिखा व समझे जाने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है.

पुराना नाम :

( संतोष कुमार मालोनिया )

(SANTOSH KUMAR MALONIYA)

(138-बी.)

नया नाम :

( संतोष कुमार मालोनिया )

(SANTOSH KUMAR MALONIYA)

### नाम परिवर्तन

मैं, एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र शिवकुमार लोधी की दस्ती की अंकसूची में मेरा नाम लीला दर्ज है एवं बारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम लीला लोधी दर्ज है एवं मेरे पुत्र के अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अलग-अलग प्रकार से दर्ज है. अब से मैं अपना नाम लीला लोधी रखना चाहती हूँ.

अतः भविष्य में मुझे लीला लोधी पत्नि श्री नथनसिंह लोधी के नाम से जाना-पहचाना-पढ़ा एवं लिखा जावे. अतः इस विज्ञप्ति द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

पुराना नाम :

( लीला/लीला लोधी )

(139-बी.)

नया नाम :

( लीला लोधी )

पत्नि श्री नथनसिंह लोधी,  
आयु-43 वर्ष, निवासी-ईसागढ़,  
पता-नई तहसील के पास ईसागढ़,  
जिला अशोकनगर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, शादी के पूर्व मेरा नाम कुमारी फूलवती पुत्री स्व. श्री नन्दकिशोर पाल था. अब शादी के पश्चात् मेरा नाम धर्मवती पाल पत्नी अशोक पाल हो गया है.

अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम धर्मवती पाल पत्नी अशोक पाल के नाम से जाना व पहचाना जावे. समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरा नाम धर्मवती पाल पत्नी अशोक पाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( कुमार फूलवती )

पुत्री स्व. श्री नन्दकिशोर.

(140-बी.)

नया नाम :

( धर्मवती पाल )

पत्नी-अशोक पाल,

पता-बालाबाई का बाजार, शीतला माता मंदिर के पास,  
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मुझे पूर्व में सौरभ अग्रवाल पिता नारायण अग्रवाल के नाम से जाना जाता था. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित करके गौरव अग्रवाल पिता नारायण अग्रवाल रख लिया है.

अतः अब मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

( सौरभ अग्रवाल )

पिता-नारायण अग्रवाल.

(141-बी.)

नया नाम :

( गौरव अग्रवाल )

पिता-नारायण अग्रवाल,

निवासी-79 अ, लक्ष्मीबाई नगर, अनाज मंडी,  
इन्दौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम “दुर्गा रानी चौहान” था तथा वर्तमान में मेरा नाम “दुर्गा चौहान” है तथा मैं दुर्गा चौहान के नाम से ही जानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

( दुर्गा रानी चौहान )

पति-देवेन्द्र कुमार चौहान.

(154-बी.)

नया नाम :

( दुर्गा चौहान )

पति-देवेन्द्र कुमार चौहान,

पता-61-ए, वन्दना नगर एक्सटेंशन,  
इन्दौर 452018 (म.प्र.).

### सूचना

मैं, टीपू सुल्तान, आयु 22 वर्ष तनय ईशाक मोहम्मद, निवासी-वार्ड क्र. 01, विधायक कॉलोनी, लवकुशनगर, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर म.प्र. का हूँ. जो कि निम्नलिखित शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि:-

1. यहकि मैं, शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरा नाम टीपू सुल्तान है मेरे सभी दस्तावेजों और बोटर आई. डी., आधार कार्ड तथा सभी कक्षा 1 से लंगातार पॉलीटेक्निक तक की सभी अंकसूचियों में टीपू सुल्तान नाम लेख है.
2. यहकि मैं, शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे दोस्त एवं अन्य लड़के मुझे टीपू सुल्तान के नाम से चिढ़ाते हैं और मुझे अपने आप में भी यह नाम अच्छा नहीं लगता मेरे जन्म के समय मेरे घर के बुजुर्गों ने मेरा नाम टीपू सुल्तान रख दिया था. जिसे मैं बदलवाना चाहता हूँ.
3. यहकि मैं, शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मैं अपना टीपू सुल्तान नाम विलोपित कर अपना नया नाम मोहम्मद रेहान तनय श्री ईशाक मोहम्मद लेख कराना चाहता हूँ.
4. यहकि मैं, शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे टीपू सुल्तान के नाम पर कहीं किसी भी पुलिस थाना में कोई अपराध कायम नहीं है तथा किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है तथा मुझे टीपू सुल्तान के नाम पर आज तक किसी भी न्यायालय में दंडित नहीं किया गया और ना ही मेरे विरुद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन है.

5. यहकि मैं, शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मैंने किसी भी शासकीय व अर्ध शासकीय, वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण नहीं लिया है तथा मुझ पर किसी भी वित्तीय संस्था का कोई ऋण देय बकाया नहीं है।
6. यहकि मैं, शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मैं, अपनी स्वेच्छा से अपना नाम बदलकर मोहम्मद रेहान लेख कराना चाहता हूँ जिसके बास्ते मैंने यह शपथ-पत्र लेख कराया है जिसमें कोई गलत तथ्य लेख नहीं कराये हैं और अपनी जानकारी अनुसार किसी भी सारांश तथ्य को छोड़ा व छिपाया नहीं है। समस्त जानकारी सही व सच है।

पुराना नाम :

(टीपू सुल्तान)

(142-बी.)

नया नाम :

(मोहम्मद रेहान)

तनय ईशाक मोहम्मद,

वार्ड क्र. 01, विधायक कॉलोनी, लंबकुशनगर,  
तहसील लंबकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.).

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स मोमेंटम जिसका पता प्लांट 1525, राइट टाउन देना बैंक के पास, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पंजीयन क्रमांक 04/14/0100034/05, दिनांक 06-06-2005 पंजीयन फर्म है, मैं से दिनांक 11-02-2016 को भागीदार आनंद कुमार पुत्र श्री राम नंदन प्रसाद ठाकुर, निवासी 689, स्नेह नगर, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा पूर्वक फर्म से पृथक् हो गए हैं।

फर्म-मोमेंटम,

अतुल ताम्रकार

(भागीदार)

पता-1525, राइट टाउन देना बैंक के पास,

जिला जबलपुर (म. प्र.).

(143-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मै. माँ ज्वाला कंस्ट्रक्शन जिसका पता C/o अजीत जैन, पी. डब्ल्यू. डी. रोड, कॉलेज कॉलोनी, वार्ड नं. 1, धनुरी, जिला शहडोल (म.प्र.) का पुनर्गठन किया जा रहा है। जिसमें माँ ज्वाला कंस्ट्रक्शन का फर्म पंजीयन न. 05/26/0900060/10, एवं पंजीयन दिनांक 16 अगस्त, 2010 है। पुनर्गठन में भागीदारी श्री धर्मेन्द्र सोनी एवं श्री आशीष कुमार राय फर्म से स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं। पुनर्गठन के बाद माँ ज्वाला कंस्ट्रक्शन फर्म में दो ही भागीदार शेष बचेंगे। जिनका नाम श्री संतोष कुमार जायसवाल एवं श्रीमती सुमन सिंह है, जो कि 50 प्रतिशत प्रत्येक मुनाफ एवं नुकसान के भागीदार होंगे। जिस किसी को फर्म के पुनर्गठन से आपत्ति हो, आपत्ति के कारण एवं संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यालय उप. पंजीयक, फर्म एवं समितियां, रीवा के समक्ष उपस्थित होकर सूचना प्रकाशन दिनांक से 10 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

मै. माँ ज्वाला कंस्ट्रक्शन

संतोष कुमार जायसवाल,

(भागीदार)

(144-बी.)

### आम सूचना

भागीदारी विलेख अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 03-06-2011 को निम्नलिखित भागीदारों के बीच गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया—भागीदार क्र. 1. प्रकाश यादव पिता पूरनलाल यादव, अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट, जबलपुर, भागीदार क्र. 2. श्रीमती ज्योति यादव पति प्रकाश यादव, पता अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट, जबलपुर, भागीदार क्र. 3. चंदादेवी असाठी पति स्व. श्री सुदामा प्रसाद असाठी, पता-एस. एफ-2, मनप्रीत विहार, कृपाल चौक, गुप्तेश्वर, जबलपुर, भागीदार क्र. 4 आनंद असाठी पिता स्व. श्री सुदामा प्रसाद असाठी, पता-एस. एफ-2, मनप्रीत विहार, कृपाल चौक, गुप्तेश्वर, जबलपुर उपरोक्त भागीदारों ने दिनांक 18-10-2010 को एक भागीदारी विलेख तैयार किया साथ ही साथ फर्मों के रजिस्ट्रार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-58 (1) के तहत फर्म श्री सदगुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से पंजीयन कराया। विलेख के अनुसार दिनांक 03-06-2011 तक सभी पार्टनर एक साथ व्यवसाय करते रहे, तत्पश्चात् सभी भागीदारों द्वारा पारस्परिक रूप से निश्चित कर उक्त फर्म का विघटन दिनांक 03-06-2011 के पश्चात् कर दिया गया। जिसमें भागीदार क्र. 1 व 2 की उक्त फर्म से भागीदारी समाप्त कर दी गई व भागीदार क्र. 3 व 4 उक्त फर्म से उसी नाम से संचालित करते रहेंगे। जिसमें भागीदार क्र. 1 व 2 को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री सदगुरु ट्रांसपोर्ट सर्विसेज,

आनंद असाठी,

(पार्टनर),

सिटी बस डिपो, आगा चौक, जबलपुर.

(145-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स महिमा वंशीवाले की इंटरप्राइजेज स्थित एकता नगर, उनाव रोड, दतिया (म. प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 02/39/01/00086/14, दिनांक 14-07-2014 है, जिसमें दिनांक 17-05-2016 को दोनों भागीदार सतेन्द्र सिंह ठाकुर एवं नवल सिंह कमरिया की आपसी सहमति से फर्म को हमेशा के लिये बंद (भंग) किया जा रहा है। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

फर्म—महिमा वंशीवाले की इंटरप्राइजेज,

सतेन्द्र सिंह ठाकुर,

(भागीदार)

एकता नगर, उनाव रोड, दतिया (म.प्र.).

(146-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स ए. पी. एस. मिनरल्स, सागर, पंजीकृत क्र. 06/12/01/00052/11, जुलाई 15, सन् 2011 से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, सागर में पंजीकृत है जिसमें कि श्री विनोद द्विवेदी, श्री अर्पित शर्मा, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री सतीश गोयल, श्री मोहित बिंदल भागीदार हैं। इसमें से श्री विनोद द्विवेदी, भागीदार, भागीदारी से अलग हो गये हैं। फर्म में श्री नवीन कुमार केशरीमल जैन, इन्दौर नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं। समस्त को अवगत कराने हेतु प्रकाशित।

मैसर्स—ए. पी. एस. मिनरल्स,

मुकेश कुमार जैन,

(पार्टनर)

लक्ष्मी निवास सिविल लाईंस, छतरपुर।

(147-बी.)

### जाहिर सूचना

यह है कि भागीदारी फर्म मै. श्रवण सिंह यादव, पता-351, तानसेन नगर, ग्वालियर 474001 (म.प्र.) है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. ARG/18, दिनांक 15-06-2001 है। जिसमें भागीदार श्री श्रवण सिंह यादव पुत्र श्री भरत सिंह यादव एवं श्री बलराम सिंह यादव पुत्र श्री भरत सिंह यादव एवं श्री अजय सिंह यादव पुत्र श्री श्रवण सिंह यादव, निवासी तमेश्वर महादेव मंदिर के पास, लोहा मण्डी, ग्वालियर (म.प्र.) श्री बलबीर सिंह यादव पुत्र श्री भगवान सिंह यादव, श्री शंकर सिंह यादव पुत्र श्री भगवान सिंह यादव, निवासी-02 न्यू कांच मिल, पंजाब वाली गली, बिरला नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं श्री नारायण सिंह यादव पुत्र श्री श्रवण सिंह यादव, निवासी-351, तानसेन नगर, ग्वालियर (म.प्र.) है। यहकि भागीदारी फर्म का आरम्भ से ही M/s. SHRAVAN SINGH YADAV नाम था। जबकि आरम्भ से ही M/s. SARVAN SINGH YADAV गलती से चला आ रहा है। जिसको दिनांक 16-05-2016 को भागीदारी डीड में सुधार कर M/s. SHRAVAN SINGH YADAV किया गया। अतः किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति फर्म के रजिस्टर्ड पते पर दस दिन के अन्दर लिखित या मौखिक दर्ज कराये।

मै. श्रवण सिंह यादव

श्रवण सिंह यादव,

(भागीदार)।

(148-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री शनि कन्स्ट्रक्शन कम्पनी उनाव रोड, दतिया मध्यप्रदेश को पार्टनरशिप डीड में (1) श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री बद्रीप्रसाद साहू, भागीदार 30 प्रतिशत, निवासी उनाव रोड, दतिया मध्यप्रदेश, (2) श्रीराम कुमार लाक्षाकार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण लाक्षाकार भागीदार 30 प्रतिशत, निवासी दांतरे की नरिया, दतिया मध्यप्रदेश, (3) श्री बद्रीप्रसाद साहू पुत्र स्व. श्री देवीप्रसाद साहू, भागीदार 30 प्रतिशत, निवासी उनाव रोड, दतिया, (4) श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री हरीमोहन शर्मा, भागीदार 10 प्रतिशत, निवासी शनिचारा मोहल्ला, दतिया मध्यप्रदेश उपरोक्त दिनांक 29-07-2010 से भागीदार थे। अतः इनका कार्यकाल कॉलम क्र. 2, 3, 4 का समय 5 वर्ष 7 माह तक रहा। किन्तु समय एवं परिस्थिति अनुसार फर्म से सर्व सहमति से उपरोक्तानुसार क्रमांक 2, 3, 4 ने फर्म से दिनांक 28-12-2015 को फर्म से अलग होने की इच्छा व्यक्त की जो कि साझेदारों द्वारा स्वीकार कर नये साझेदार को फर्म में सम्मिलित कर भागीदार का प्रतिशत नियमानुसार है। क्र. 1 श्रीमती विनीता साहू पत्नी श्री मुकेश कुमार साहू, भागीदार 49 प्रतिशत, निवासी उनाव रोड, दतिया मध्यप्रदेश, क्र. 2 श्री मुकेश कुमार साहू पुत्र श्री बद्रीप्रसाद साहू, भागीदार 51 प्रतिशत, निवासी उनाव रोड, दतिया मध्यप्रदेश उक्त फर्म में संशोधन किये जाने से किसी जन साधारण, शासकीय, अशासकीय कार्यालय, वित्तीय संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से 15 दिवस के अन्दर फर्म एवं सोसायटी कार्यालय ग्वालियर में ढोस प्रमाण-पत्र सहित अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नियत दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर फर्म एवं सोसायटी ग्वालियर में रिवाइज पार्टनरशिप डीड का पंजीयन कराने के हकदार होंगे। नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी और न उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही होगी।

मैसर्स—श्री शनि कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

मुकेश कुमार साहू, विनीता साहू

दतिया (म.प्र.)।

(149-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स “सेन केमिकल्स” बैंडन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) में दिनांक 01-04-2016 से श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री जगदीश, निवासी-CIMFR COLONY, जिला धनबाद (झारखण्ड) बतौर नये भागीदारी के रूप में शामिल किया गया है।

सेन-केमिकल्स

संदीप कार,

(पार्टनर)

बैंडन, जिला सिंगरौली।

(150-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स झामू इन्फ्रा डेल्पर्स, उज्जैन के नाम से भागीदारी फर्म है, उक्त फर्म में श्री कपील जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सौरभ जैन एवं श्रीमती आशा जैन भागीदार थे। उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2012 से श्री नवीनकुमार जैन नए भागीदार के रूप में सम्मिलित किए गए हैं तथा श्री सौरभ जैन एवं श्रीमती आशा जैन दिनांक 01-04-2012 से फर्म से अलग हो गए हैं।

भवालकर एण्ड कम्पनी

एच. एस. भवालकर,

(एड्वोकेट)

22, वराहमिहर मार्ग, फ्रीगंज

घंटाघर के पास, उज्जैन।

(151-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स झामू इन्फ्रा डेल्पर्स, के नाम से भागीदारी फर्म है, जिसका प्रधान कार्यालय 2 उत्तम नगर हीरामील रोड, उज्जैन है, उक्त फर्म में सुभाष चन्द्र जैन, श्री अनिल जैन एवं श्री नवीनकुमार जैन भागीदार थे। उक्त भागीदारी फर्म में से दिनांक 01-04-2016 से श्री नवीनकुमार जैन अलग हो गए हैं।

भवालकर एण्ड कम्पनी

एच. एस. भवालकर,

(एड्वोकेट)

22, वराहमिहर मार्ग, फ्रीगंज

घंटाघर के पास, उज्जैन।

(151-A-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स झामू इन्फ्रा डेल्पर्स, के नाम से भागीदारी फर्म है, जिसका प्रधान कार्यालय 4 नयापुरा, उज्जैन है। उक्त फर्म में श्री कपिल जैन, श्रीमती नीलम जैन एवं श्री नवीनकुमार जैन भागीदार थे। उक्त भागीदारी फर्म में से दिनांक 29-02-2016 से श्री कपिल जैन एवं श्रीमती नीलम जैन अलग हो गए हैं तथा इसी दिनांक से दो नए भागीदार श्री सुभाषचन्द्र जैन एवं श्री अनिल जैन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं। अब इस भागीदारी फर्म का नया पता 2 उत्तम नगर, हीरामील रोड, उज्जैन रहेगा।

भवालकर एण्ड कम्पनी

एच. एस. भवालकर,

(एड्वोकेट)

22, वराहमिहर मार्ग, फ्रीगंज

घंटाघर के पास, उज्जैन।

(151-B-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बैंजनाथ प्रसाद जायसवाल फर्म पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं इन्दौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 15-06-2012 को श्री बैंजनाथ प्रसाद जायसवाल पिता स्वर्णीय श्री चिरोंजी लाल जी जायसवाल, मधुबन कॉलेजी, इन्दौर ने फर्म से भागीदार के रूप में त्याग-पत्र दिया होकर फर्म से पृथक् हो गए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है।

वास्ते: मैसर्स बैंजनाथ प्रसाद जायसवाल फर्म

कैलाश जायसवाल,

(पार्टनर)।

(152-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स प्रीतम औयल इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं इन्दौर में पंजीकृत है। यह कि दिनांक 01-04-1998 को फर्म के साझेदार श्री भूपेन्द्र सिंह पिता श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी खण्डवा फर्म

के साझेदार नहीं रहे एवं दिनांक 01-04-1998 को फर्म में श्रीमती अवनीत कौर पति गुरमीत सिंह, निवासी खण्डवा को फर्म में भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही दिनांक 01-04-2003 को फर्म के साझेदार श्रीमती प्रकाश कौर पति श्री प्रीतम सिंह, निवासी खण्डवा एवं श्रीमती हरभजन कौर पति श्री वीरेंदर सिंह, निवासी खण्डवा फर्म के साझेदार नहीं रहे एवं दिनांक 01-04-2003 को फर्म में गुरमीतसिंह प्रीतमसिंह HUF तर्फे गुरमीतसिंह प्रीतमसिंह कर्ता, निवासी खण्डवा को फर्म में भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही 01-04-2007 को श्री गगनदीप सिंह पिता श्री गुरमीतसिंह उबेजा, निवासी खण्डवा को फर्म के साझेदार के रूप में शामिल हुये हैं। साथ ही इसी दिनांक को गुरमीत सिंह प्रीतमसिंह HUF तर्फे गुरमीतसिंह प्रीतमसिंह कर्ता, निवासी खण्डवा ने फर्म के साझेदार से त्याग-पत्र दिया है। यह सूचना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है।

For M/s Pritam Oil Industries,

गुरमीत सिंह,

(Partner).

(153-B.)

## विविध

### निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 06 जून, 2016

#### अल्पावधि निविदा सूचना

क्र. जी.बी.चार/(पी-1)2016-17/1519.—ऑनलाइन बिडिंग <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेंडर से तकनीकी एवं कॉर्मर्शियल निविदा दिनांक 15-06-2016 अपराह्न 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रिंटिंग एवं अन्य सामग्री का क्रय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये आमंत्रित की जाती है।

2. टेंडर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाईट [www.govt.pressmp.nic.in](http://www.govt.pressmp.nic.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।
3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्डकॉपी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा। ऑनलाइन निविदा एवं हार्डकॉपी की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थिति निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।
4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट <https://www.mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(441)

Bhopal, Dated 06<sup>th</sup> June, 2016

### SHORT TENDER NOTICE

#### (Printing Articles)

No.GB-IV-Printing(1)2016-17/1519.— *ONLINE Bidding go through IT Department Portal <https://www.mpeproc.gov.in> and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 P.M. on 15<sup>th</sup> june, 2016 as per Key—Dates from the manufacturers or their Agents/Authorised Dealers for the supply of various types of printing materials for the Govt. Printing Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa.*

2. Tender Document and agreement details of tender are also available at website [www.govt.pressmp.nic.in](http://www.govt.pressmp.nic.in).
3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealded) must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE as per key dates in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.
4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on <https://www.mpeproc.gov.in>.

SANJEEV SINGH,

Controller,

Govt. Printing & Stationery,  
Madhya Pradesh, Bhopal.

(441-A)

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री पं. योगेन्द्र पिता स्व. रामगोपाल दास महंत व अन्य-3, पता-54, महावीर मार्ग, गांधी नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर द्वारा विश्व ब्राह्मण समाज संघ ट्रस्ट, कार्यालय पता-54, महावीर मार्ग, गांधी नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	विश्व ब्राह्मण समाज संघ ट्रस्ट
पता	:	कार्यालय पता-54, महावीर मार्ग, गांधी नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश)
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति में रुपये 2000 जो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा गांधी नगर में जमा हैं तथा एक एफ. डी. राशि 10,000/- के रूप में है।

आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अजीत कुमार श्रीवास्तव,

रजिस्ट्रार,

(429)

**न्यायालय पंजीयन, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, गोहलपुर जबलपुर**

रा.प्र.क्र.01/बी-113/4/15-16.

जारी, दिनांक 03 मार्च, 2016

### प्रारूप-4

[देखिये नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्री डॉ. रामकिनकर मिश्र द्वारा संस्कृत भारतीय महाकौशलम् न्यास, जबलपुर के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गयी सम्पत्ति न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयत हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को विचार के लिए नियत किया गया है। कोई भी व्यक्ति न्यास व सम्पत्ति में हित रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक 1 माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समस्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. लोक न्यास का नाम | : | संस्कृत भारतीय महाकौशलम् न्यास डॉ. हेडगेवार भवन  |
| एवं पता             |   | 1692, नव आदर्श कॉलोनी, जबलपुर.   |
| 2. चल सम्पत्ति      | : | दान दाताओं द्वारा प्रदान की गई राशि 5,000/- रुपये<br>(जिसे) पंजीयन के उपरांत राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के खाते में जमा किया जायेगा. |
| 3. अचल सम्पत्ति     | : | निल.   |

सुनील शुक्ला,  
अनुविभागीय दण्डाधिकारी.

(430)

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, सिरोंज

प्र.क्र.01/बी-113/2015-16.

#### प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (तीस) 95 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

चूंकि आवेदक श्री अवधनारायण पुत्र नर्बदाप्रसाद शर्मा आदि, निवासी हुल्लाखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम के अंतर्गत न्यास पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट के एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् तीस दिवस के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं, निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

#### परिशिष्ट

(लोक न्यास का नाम और पता एवं चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 1. सार्वजनिक न्यास का नाम | : | मंदिर श्री ब्रह्महाजी (गौमुख) न्यास  |
| 2. पता                    | : | ग्राम हुल्लाखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.).   |
| 3. चल सम्पत्ति            | : | 1. नगद निरंक.  |
| 4. अचल सम्पत्ति           | : | कृषि भूमि खसरा क्रमांक 275 रकबा 1.163, 276 रकबा 3. 392, 277 रकबा 0.126, 279 रकबा 1.215, 286 रकबा 1.455<br>कुल किता-5 कुल रकबा 4.351 हे. स्थित ग्राम हुल्लाखेड़ी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा मध्यप्रदेश. |

आज दिनांक 03 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया।

राकेश शर्मा,  
अनुविभागीय अधिकारी.

(431)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला अनूपपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सोनभद्र खदान सहकारी समिति मर्या., चचानडीह.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016.

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि सोनभद्र खदान सहकारी समिति मर्या., चचानडीह, जिसका पंजीयन क्रमांक 1068, दिनांक 04 सितम्बर, 2008 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

किसान सिंचाई सहकारी समिति मर्या., चौलना।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि किसान सिंचाई सहकारी समिति मर्या., चौलना, जिसका पंजीयन क्रमांक 821, दिनांक 28 जुलाई, 1989 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनकुटा।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनकुटा, जिसका पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लमसरई।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि बीज उत्पादक सहकारी

समिति मर्या., लमसरई, जिसका पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 19 अप्रैल, 2011 है. संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है.
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है.

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथरौड़ी।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पथरौड़ी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1097, दिनांक 03 सितम्बर, 2010 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

शैल पुत्री गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., कोतमा.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016.

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि शैल पुत्री गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., कोतमा, जिसका पंजीयन क्रमांक 797, दिनांक 10 अगस्त, 2007 है. संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है.
2. संस्था द्वारा उपचारित अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं. संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है.

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपचारित की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है. अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पद्धति-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष खोकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(432-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

निहारिका स्वायत्त कर्म. सहकारी समिति मर्या., कोतमा.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016.

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि निहारिका स्वायत्त कर्म. सहकारी समिति मर्या., कोतमा, जिसका पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 10 जून, 2003 है. संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है.
2. संस्था द्वारा उपचारित अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं. संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है.

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., रेऊसा.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि कुक्कुट पालन सहकारी समिति मर्या., रेऊसा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 08 अगस्त, 2007 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमिताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

मछुआ सहकारी समिति मर्या., अमिलिहा।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि मछुआ सहकारी समिति

मर्या., अमिलिहा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1094, दिनांक 16 अगस्त, 2010 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, वर्षों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सांई कामगार सहकारी समिति मर्या., आमाडांड.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. सपि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि सांई कामगार सहकारी समिति मर्या., आमाडांड, जिसका पंजीयन क्रमांक 03, दिनांक 28 फरवरी, 2011 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, वर्षों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

नागरिक स्वायत्त सहकारी समिति मर्या., कोतमा.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016.

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि नागरिक स्वायत्त सहकारी समिति मर्या., कोतमा, जिसका पंजीयन क्रमांक 02, दिनांक 29 सितम्बर, 2008 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष खबर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आंज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

सोनांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जैतहरी।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि सोनांचल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जैतहरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1061, दिनांक 23 अगस्त, 2007 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-K)

अनूपपुर, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

नेहा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., खूँटाटोला।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

क्र./परि./2016/516.—सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि नेहा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., खूँटाटोला, जिसका पंजीयन क्रमांक 1036, दिनांक 14 अगस्त, 2003 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वृष्टिकृ आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

श्वेता नगर पंचायत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैतहरी।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्वेता नगर पंचायत महिला

बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैतहरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 965, दिनांक 09 अगस्त, 1999 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

महिला बहु सहकारी समिति मर्या., चकेठी।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016.

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि महिला बहु सहकारी समिति मर्या., चकेठी, जिसका पंजीयन क्रमांक 02, दिनांक 25 सितम्बर, 2003 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

कॉलरी कर्म. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., राजनगर.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016.

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि कॉलरी कर्म. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., राजनगर, जिसका पंजीयन क्रमांक 483, दिनांक 30 जून, 1964 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुर्गावती महिला सहकारी समिति मर्या., अनूपपुर.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016.

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि दुर्गावती महिला स्वायत्त सहकारी समिति मर्या., अनूपपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 12 अगस्त, 2009 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञाप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पुष्पराजगढ़।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पुष्पराजगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 1037, दिनांक 14 अगस्त, 2008 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञाप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

मछुआ सहकारी समिति मर्या., खांडा।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि मछुआ सहकारी समिति

मर्या., खांडा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1101, दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

आजीविका महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अमगवां।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि आजीविका महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अमगवां, जिसका पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 07 जनवरी, 2012 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

म. प्र. वि. मण्डल साख सहकारी समिति मर्या., चचाई.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि म. प्र. वि. मण्डल साख सहकारी समिति मर्या., चचाई, जिसका पंजीयन क्रमांक 406, दिनांक 20 फरवरी, 1950 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।

2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।

4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष खड़कर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

श्रमजीवी कामगार सहकारी समिति मर्या., कोतमा।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्रमजीवी कामगार सहकारी समिति मर्या., कोतमा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1056, दिनांक 08. अगस्त, 2007 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।

2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।

4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

गोपाल खनिज सहकारी समिति मर्या., जैतहरी।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि गोपाल खनिज सहकारी समिति मर्या., जैतहरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 29 जून, 2009 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

नागरिक साख सहकारी समिति मर्या., कोतमा।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016।

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि नागरिक साख सहकारी

समिति मर्या., कोतमा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1058, दिनांक 09 अगस्त, 2007 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमिताएं पाई गयीं—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

ईधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., जैतहरी।

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र।

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016.

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि ईधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., जैतहरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1018, दिनांक 26 सितम्बर, 2002 है। संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमिताएं पाई गयीं—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है।
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है।
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है।
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं। संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है।

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है। अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(432-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., कपिलधारा.

विषय:- कारण बताओ सूचना-पत्र.

सन्दर्भ:- सहायक पंजीयक (अंके.), सह. संस्थाएं, अनूपपुर का पत्र क्र./अंके./16/104, दिनांक 23 अप्रैल, 2016.

सहायक पंजीयक (अंके.), सह. समि. अनूपपुर के द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., कपिलधारा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 29 सितम्बर, 2002 है. संस्था के कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं।—

1. संस्था विगत कई वर्षों से कार्य व्यापार नहीं कर रही है.
2. संस्था द्वारा उपविधि अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जाता है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं. संस्था में वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है.

उक्त के आधार पर संस्था द्वारा कार्य संचालन बन्द कर दिया गया है, स्पष्ट है कि, संस्था ने इस अधिनियम एवं संस्था उपविधि की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया है. अतः मैं, श्रीमती शकुन्तला ठाकुर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अनूपपुर को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-2-2010/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करती हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष खबर निर्णय लेकर 60 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि, क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 24 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन मय प्रमाणकों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदानुसार संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शकुन्तला ठाकुर,  
उप-आयुक्त, सहकारिता.

(432-Y)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., माधवगढ़, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 28, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्पर्कित के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र

जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., असरार, वि. ख. नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं —

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-A)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/702.—कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पतौरा, वि. ख. उचैरहा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 22 नवम्बर, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं —

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-B)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगुना, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-C)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झण्ड, वि. ख. रामपुरवडेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 22, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-D)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाबूपुर, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-E)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौ, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 50, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-F)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दिदौध, वि. ख. सोहावल, जिला सतना,

पंजीयन क्रमांक 51, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं.—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-G)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घोरकाट, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 52, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं.—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-H)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अवेर, वि. ख. रामपुरवधेलान,

जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 53, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-I)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिलौरा, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 54, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-J)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरहुत, वि. ख. उचेहरा,

जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-K)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दिदौध, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 56, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-L)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मटेहना, वि. ख. सोहावल,

जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 57, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-M)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंशीपुर, वि. ख. मझगावां, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 58, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-N)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खम्हरिया तिवरियान, वि. ख. सोहावल,

जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 59, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-O)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., फुटौथी, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 60, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-P)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौहार, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना,

पंजीयन क्रमांक 61, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-Q)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंचनपुर, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 62, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-R)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अकौना, वि. ख. रामपुर, जिला सतना,

पंजीयन क्रमांक 63, दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-S)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामस्थान II, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 64 , दिनांक 07 मई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-T)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामस्थान, वि. ख. सोहावल,

जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 96, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-U)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वेला, वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 97, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-V)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हाटी, वि. ख. ...., जिला सतना,

पंजीयन क्रमांक 98, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है.
3. सम्पर्कित के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-W)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वारीकला, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 99, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है.
3. सम्पर्कित के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(433-X)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिलौरी, वि. ख. सोहावल,

जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 100, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-Y)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरमल्ला, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 101, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(433-Z)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सगमा, वि. ख. सोहावल, जिला सतना,

पंजीयन क्रमांक 102, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भर्जुनाकला, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 103, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-A)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/702.—कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कलहारी, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 104, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं ।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-B)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुसुआर, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 105, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं ।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-C)

दिनांक 05 मई, 2016

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुलुवा, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 107, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं ।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-D)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरहना, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 108, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-E)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुआ, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत

परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-F)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश संहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मतहा, वि. ख. रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 110, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-G)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौलाछ, वि. ख. रामपुर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 111, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-H)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ख. ख. रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 112, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-I)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहनिया, वि. ख. रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 113, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-J)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़खुड़ी, वि. ख. रामपुर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-K)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुरवा, वि. ख. रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 115, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-L)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/702.—कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तपा. वि. ख...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 116, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-M)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौरहा, वि. ख. मझगावां, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 117, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-N)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिथौर, वि. ख. रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 118, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05. मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-O)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरा क्र. 1, वि. ख. रामपुर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 119, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-P)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खारी, वि. ख. रामपुर जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 120, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-Q)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गजगवा, वि. ख. रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 121, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-R)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाडा, वि. ख. रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 122, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमाप्त में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमाप्त करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-S)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौरा, वि. ख. मझगंवा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमाप्त में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमाप्त करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-T)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरहा, वि. ख. मझगंवा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 125, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-U)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बकियाबैलो, वि. ख. रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 126, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-V)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गजगवा, वि. ख. रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 127, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-W)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरसिंहपुर, वि. ख. रामपुरबाघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 128, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-X)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सतरी, वि. ख. रामपुरबैघलान जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 129, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-Y)

दिनांक 05 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., असरार, वि. ख. रामपुरबैघलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 130, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं

समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(434-Z)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौलाछ, वि. ख. रामपुरबघेलान, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 131, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरढाडीह, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 133, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-A)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/702.—कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नादन, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 134, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-B)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम; 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लटांगांव, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 135, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. 'संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-C)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महेदर, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 136, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-D)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजबाइन, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 137, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-E)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जरियारी वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 16 जुलाई 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-F)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पलौहा, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 139, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-G)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलैया, वि. ख. महैर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 140, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-H)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पचौहा, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 141, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-I)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमगार, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 142, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(435-J)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. (कर्तव्य) करतहा वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(435-K)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदेरा, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 144, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं.—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-L)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनबाहीखुर्द, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 145, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं.—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-M)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खोंधिरा, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 146, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(435-N)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरी पिपरी, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 147, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(435-O)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वेल्डरा, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 148, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(435-P)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करईया देवरी, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 149, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(435-Q)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टीकरकला, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 150, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(435-R)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरौरा, वि. ख. महैर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 151, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(435-S)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भटनवारा (उचेहरा) वि.ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 152, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नार्मांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-T)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लौहरौरा, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 153, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नार्मांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-U)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोडीगरादा, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 154, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-V)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोवरावखुर्द वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 155, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-W)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निवाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बावूपुर वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 156, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निवाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-X)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निवाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोरवारा वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 157, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निवाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-Y)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहिजना उवारी, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 158, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(435-Z)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरी कुर्मिहाई, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 159, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमदरी, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 160, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-A)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुढ़ा, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 161, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-B)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोवरावखुर्द, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 162, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्पर्कर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-C)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3)\*के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विहटा, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 163, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्पर्कर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-D)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इचौल, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 164, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-E)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मानिकपुर, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 138, दिनांक 16 जुलाई 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-F)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झिना, वि. ख. रामनगर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 166, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-G)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवराजी, वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 167, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-H)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोडार वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 168, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नार्मांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-I)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सन्नेही, वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 169, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नार्मांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-J)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रैकवार वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 170, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-K)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मौहर, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 171, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-L)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ओवरा, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 172, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-M)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देऊ, वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 173, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-N)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महुडर अ.वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 174, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्पर्कर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-O)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रमपुरा, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 175, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्पर्कर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-P)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरा, वि. ख.रामपुर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 176, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-Q)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौपड़ा, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 177, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-R)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नुनगरा, वि.ख. नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 178, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-S)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., माजीखेरा, वि.ख. नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 179, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-T)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुमरेही, वि. ख. नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 180, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-U)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुरदहा, वि. ख. नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 181, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(436-V)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खम्हरिया खुर्द, वि. ख. सोहावल जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 182, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-W)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवराजपुर, वि. ख. नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक-183, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-X)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेड़आ, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 184, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-Y)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ब्लौहारी, वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 185, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(436-Z)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरी, वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 186, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतरौरा, वि. ख. उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 187, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-A)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/702.—कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डुडहा, वि. ख. रामपुर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 188, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-B)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोटा नं. 2, वि. ख. नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 184, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-C)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगंवाखुर्द, वि. ख. अमरपाटन, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 190, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-D)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिजहटी, वि. ख. रामपुर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 191, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-E)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवराजपुर, वि. ख. नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 192, दिनांक 16 जुलाई 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-F)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कर्रा, वि. ख. .... जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 193, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-G)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरामलहाई, वि. ख. ....  
जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 194, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69  
(2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-H)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झोपा, वि. ख. ....  
जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 195, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69  
(2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-I)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौता, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 196, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-J)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. हरदुआ, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 197, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-K)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मसमासीकला वि. ख. रामनगर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 198, दिनांक 16 जुलाई, 2016 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नार्मांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-L)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुलखमा, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 199, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नार्मांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-M)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पदमी वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 200, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-N)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुडवानी, वि. ख. मैहर, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 201, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-O)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ब्रह्मा, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 203, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-P)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रईया, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 204, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-Q)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बांधीनयागांव, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 205, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-R)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बांधी, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 206, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं .—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-S)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिल्ला, वि.ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 207, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-T)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झीरी, वि. ख. मझगांवा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 208, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-U)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा, वि. ख. सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 209, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं.—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-V)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हर्दी, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 210, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं.—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है.
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है.
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(437-W)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहेरा, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 211, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-X)

दिनांक 05 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमिलिया, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 212, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-Y)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मचखड़ा, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 213, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(437-Z)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुडगवा, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 214, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत् परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(438)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शुकवाह, वि. ख. मझगंवा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 215, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं.—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(438-A)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालदेव, वि. ख. मझगंवा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 216, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं.—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(438-B)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उजैनी, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 218, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(438-C)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टेड़ी पतमनिया, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 217, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(438-D)

दिनांक 05 मई, 2016

## कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

कार्यालय के निर्वाचन कक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कलवलिया, वि. ख. ...., जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 219, दिनांक 16 जुलाई, 2014 निम्नलिखित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) तहत परिसमापन में लाये जाने योग्य हो गई हैं।—

1. संस्था ने आडिट नहीं कराया है।
2. संस्था का रिकार्ड विधिवत संधारित नहीं है।
3. सम्परिवर्तन के समय नामांकित संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
4. संस्था द्वारा निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराया गया है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर मय साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 06 जून, 2016 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

आर. पी. पाल,  
उप-पंजीयक।

(438-E)

## कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 07 मई, 2016

क्र./परि./2016/932.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समितियों को (जिन्हें आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नं. 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मोहराई।	520/15-12-2005	2841/31-12-2015	श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक।

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 07 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

एस. के. सिंह,  
उप-रजिस्ट्रार।

(439)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/998.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./652, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 527, दिनांक 15 मई, 2006 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राकेश सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(439-A)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/999.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./647, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदिवासी खनिज सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 403, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(439-B)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/1000.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./646, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा सतनाम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बामौरकलां को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत सतनाम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बामौरकलां जिसका पंजीयन क्रमांक 196, दिनांक 6 अक्टूबर, 1988 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विजय कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(439-C)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/1001.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./645, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा निशादराज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरसौद, तहसील करैरा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत निशादराज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सिरसौद, तहसील जिसका पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(439-D)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/1002.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./641, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., करई को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., करई जिसका पंजीयन क्रमांक 508, दिनांक 02 दिसम्बर, 2004 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राकेश सिंह चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(439-E)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/1003.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./644, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा मॉ बैराज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कालामढ़ को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मॉ बैराज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कालामढ़ जिसका पंजीयन क्रमांक 566, दिनांक 23 अप्रैल, 2011 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(439-F)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/1004.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./642, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा मॉ शारदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कोटा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मॉ शारदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कोटा जिसका पंजीयन क्रमांक 548, दिनांक 17 जून, 2009 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(439-G)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/1005.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./622, दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा अ.ज.जा. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिछोर को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्ड्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत अ.ज.जा. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिछोर जिसका पंजीयन क्रमांक 305, दिनांक 1 फरवरी, 1995 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(439-H)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/1006.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./653, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कलोथरा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्ड्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कलोथरा जिसका पंजीयन क्रमांक 651, दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री उमेश कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(439-I)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/1007.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./655, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अमोलपठा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्ड्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अमोलपठा जिसका पंजीयन क्रमांक 653, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती विनीता सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(439-J)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/1008.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./656, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरसौद (शिवपुरी) को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरसौद (शिवपुरी) जिसका पंजीयन क्रमांक 657, दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. डी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(439-K)

शिवपुरी, दिनांक 16 मई, 2016

क्र./परि./2016/1009.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./654, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेवदा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेवदा जिसका पंजीयन क्रमांक 652, दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 है; को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती विनीता सक्सैना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

एस. के. सिंह,  
उप-पंजीयक।

(439-L)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./14/1150, बालाघाट, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के द्वारा बालाघाट कृषि प्रसंस्करण सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 07 नवम्बर, 2009, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत एस. एन. झारिया, अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में बालाघाट कृषि प्रसंस्करण सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 07 नवम्बर, 2009, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बालाघाट कृषि प्रसंस्करण सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 07 नवम्बर, 2009, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाघाट कृषि प्रसंस्करण सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 07 नवम्बर, 2009, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./39, बालाघाट, दिनांक 09 जनवरी, 2015 के द्वारा बालाघाट कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 870, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में बालाघाट कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 870, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बालाघाट कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 870, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाघाट कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 870, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./14/02, बालाघाट, दिनांक 02 जनवरी, 2014 के द्वारा प्रयावरण मित्र सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 525, दिनांक 29 मार्च, 1995, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रयावरण मित्र सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 525, दिनांक 29 मार्च, 1995, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रयावरण मित्र सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 525, दिनांक 29 मार्च, 1995, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रयावरण मित्र सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 525, दिनांक 29 मार्च, 1995, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-B)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./15/38, बालाघाट, दिनांक 09 जनवरी, 2015 के द्वारा प्रा. कलश श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 865, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रा. कलश श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 865, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य हैं।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रा. कलश श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 865, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा. कलश श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-C)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./11/284, बालाघाट, दिनांक 07 मार्च, 2011 के द्वारा शासकीय शिक्षक साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 545, दिनांक 27 जुलाई, 1996, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में शासकीय शिक्षक साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 545, दिनांक 27 जुलाई, 1996, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य हैं।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि शासकीय शिक्षक साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 545, दिनांक 27 जुलाई, 1996, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय शिक्षक साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 545, दिनांक 27 जुलाई, 1996, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-D)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./15/43, बालाघाट, दिनांक 09 जनवरी, 2014 के द्वारा लक्ष्मी आपूर्ति एवं साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 838, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी आपूर्ति एवं साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 838, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि लक्ष्मी आपूर्ति एवं साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 838, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी आपूर्ति एवं साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 838, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-E)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./15/41, बालाघाट, दिनांक 09 जनवरी, 2015 के द्वारा आदिवासी ठेका सहकारी समिति मर्यादित, पीपरटोला, पंजीयन क्रमांक 871, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में आदिवासी ठेका सहकारी समिति मर्यादित, पीपरटोला, पंजीयन क्रमांक 871, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आदिवासी ठेका सहकारी समिति मर्यादित, पीपरटोला, पंजीयन क्रमांक 871, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी ठेका सहकारी समिति मर्यादित, पीपरटोला, पंजीयन क्रमांक 871, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-F)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./15/44, बालाघाट, दिनांक 09 जनवरी, 2015 के द्वारा बालाघाट साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में बालाघाट साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य हैं।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बालाघाट साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाघाट साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-G)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./15/42, बालाघाट, दिनांक 09 जनवरी, 2015 के द्वारा गोंडवाना श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 868, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत एस. एन. झारिया, अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंके.), सहकारी संस्थाएं, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में गोंडवाना श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 868, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य हैं।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि गोंडवाना श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 868, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोंडवाना श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 868, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-H)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./2000/1655, बालाघाट, दिनांक 21 सितम्बर, 2000 के द्वारा जिला शिक्षा कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 11 अप्रैल, 1977, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में जिला शिक्षा कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 11 अप्रैल, 1977, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जिला शिक्षा कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 11 अप्रैल, 1977, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिक्षा कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 11 अप्रैल, 1977, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-I)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./13/1025, बालाघाट, दिनांक 16 जुलाई, 2013 के द्वारा अमृत प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 23 नवम्बर 2001, विकासखण्ड वारासिवनी, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में अमृत प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 23 नवम्बर 2001, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अमृत प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 23 नवम्बर 2001, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृत प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, वारासिवनी, पंजीयन क्रमांक 616, दिनांक 23 नवम्बर 2001, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-J)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./13/1196, बालाघाट, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के द्वारा प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बोरगाँव, पंजीयन क्रमांक 498, दिनांक 08 जनवरी, 1994, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में बालाघाट प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बोरगाँव, पंजीयन क्रमांक 498, दिनांक 08 जनवरी, 1994, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बोरगाँव, पंजीयन क्रमांक 498, दिनांक 08 जनवरी, 1994, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बोरगाँव, पंजीयन क्रमांक 498, दिनांक 08 जनवरी, 1994, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-K)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./13/1195, बालाघाट, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के द्वारा प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, केशा, पंजीयन क्रमांक 570, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, केशा, पंजीयन क्रमांक 570, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, केशा, पंजीयन क्रमांक 570, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, केशा, पंजीयन क्रमांक 570, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-L)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./12/823, बालाघाट, दिनांक 15 जून, 2012 के द्वारा प्रा. दुर्घ सहकारी समिति मर्यादित, पारडी, पंजीयन क्रमांक 499, दिनांक 08 जनवरी, 1994, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रा. दुर्घ सहकारी समिति मर्यादित, पारडी, पंजीयन क्रमांक 499, दिनांक 08 जनवरी, 1994, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रा. दुर्घ सहकारी समिति मर्यादित, पारडी, पंजीयन क्रमांक 499, दिनांक 08 जनवरी, 1994, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा. दुर्घ सहकारी समिति मर्यादित, पारडी, पंजीयन क्रमांक 499, दिनांक 08 जनवरी, 1994, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-M)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./12/822, बालाघाट, दिनांक 15 जून, 2012 के द्वारा प्रा. दुर्घ सहकारी समिति मर्यादित, जराही, पंजीयन क्रमांक 493, दिनांक 22 नवम्बर 1993, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रा. दुर्घ सहकारी समिति मर्यादित, जराही, पंजीयन क्रमांक 493, दिनांक 22 नवम्बर 1993, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रा. दुर्घ सहकारी समिति मर्यादित, जराही, पंजीयन क्रमांक 568, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा. दुर्घ सहकारी समिति मर्यादित, जराही, पंजीयन क्रमांक 493, दिनांक 22 नवम्बर 1993, विकासखण्ड किरनापुर, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-N)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./13/1194, बालाघाट, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के द्वारा प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, भालवा, पंजीयन क्रमांक 568, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, भालवा, पंजीयन क्रमांक 568, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, बोरगाँव, पंजीयन क्रमांक 568, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, भालवा, पंजीयन क्रमांक 568, दिनांक 31 मार्च, 1997, विकासखण्ड किरनापुर, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(440-O)

## [मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उ.प.बा./परि./15/40, बालाघाट, दिनांक 09 जनवरी, 2015 के द्वारा न्यायिक कर्मचारी (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) केन्द्रित एवं वाहन स्टेण्ड सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 862, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट, जिसे मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन एवं अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, बालाघाट के माध्यम से कराया गया। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) द्वारा संस्था के निरंक स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गयी है। जिससे स्पष्ट है, कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में न्यायिक कर्मचारी (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) केन्द्रित एवं वाहन स्टेण्ड सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 862, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

परिसमापन की उक्त कार्यवाही से एवं संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि न्यायिक कर्मचारी (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) केन्द्रित एवं वाहन स्टेण्ड सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 862, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द किया जाना उचित है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक कर्मचारी (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) केन्द्रित एवं वाहन स्टेण्ड सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पंजीयन क्रमांक 862, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013, विकासखण्ड बालाघाट, जिला बालाघाट का पंजीयन रद्द करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

जी. एस. डेहरिया,  
उप-रजिस्ट्रार।

(440-P)

## कार्यालय उपर्युक्त, सहकारिता, जिला सागर

सागर, दिनांक 10 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

तालग्वारी (सुरखी), जिला सागर (म.प्र.).

कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मत्स्य सहकारी समिति मर्या., तालग्वारी (सुरखी), जिला सागर पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 18 जून, 1966 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. सोसायटी अकार्यशील है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है तथा सहायक संचालक मत्स्य उद्योग, जिला सागर मध्यप्रदेश द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्या., तालग्वारी (सुरखी), जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(421)

सागर, दिनांक 06 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्या.,

विनैका (बण्डा), जिला सागर (म.प्र.).

कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्या., विनैका (बण्डा), जिला सागर पंजीयन क्रमांक 638, दिनांक 17 जुलाई, 1996 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. सोसायटी अकार्यशील है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है तथा सहायक संचालक मत्स्य उद्योग, जिला सागर मध्यप्रदेश द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्या., विनैका (बण्डा), जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(421-A)

सागर, दिनांक 06 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,

रेल्वे कॉलोनी, बीना, जिला सागर (म.प्र.).

कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रेल्वे कॉलोनी, बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 02 सितम्बर, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. सोसायटी अकार्यशील है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रेल्वे कॉलोनी, बीना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(421-B)

सागर, दिनांक 06 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

जन सेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,

बीना, जिला सागर (म.प्र.).

कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जन सेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, जिला सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 622, दिनांक 03 जनवरी, 1996 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे

में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. सोसायटी अकार्यशील है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन सेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(421-C)

सागर, दिनांक 06 मई, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

आपूर्ति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,

बीना, जिला सागर (म.प्र.).

कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार आपूर्ति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 13 सितम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. सोसायटी अकार्यशील है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपूर्ति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(421-D)

सागर, दिनांक 06 मई, 2016

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,

बीना, जिला सागर (म.प्र.).

कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 03 जुलाई, 1996 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार।—

1. सोसायटी अकार्यशील है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बीना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(421-E)

सागर, दिनांक 06 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर, वि. खं. सागर, जिला सागर (म. प्र.), पंजीयन क्र. 20/1963, दिनांक 18 जून, 1963 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/150, सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म. प्र. के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल, दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र.-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जिला थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., सागर, वि. खं. सागर, जिला सागर (म. प्र.), पंजीयन क्र. 20/1963, दिनांक 18 जून, 1963 को परिसमापन में लाता हूं, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत एस. एल. चढ़ार, व.स.नि., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं।

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(421-F)

पी. आर. कावड़कर,  
उप-रजिस्ट्रार।

### कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 26 मई, 2016

क्र./परि./2016/1067.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./651, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा रानी लक्ष्मीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., करैरा को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना—पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था। परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत रानी लक्ष्मीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., करैरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 377, दिनांक 30 जुलाई, 1996 है को, एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. पी. राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

एस. के. सिंह,  
उप-पंजीयक।

(454)

### कार्यालय पश्चिम निमाड, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., खरगौन

दिनांक 30 मई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./स्था./लेखा/81.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., खरगौन (पंजीयन क्रमांक 69, दिनांक 01 फरवरी, 1962) जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत बैंक है। बैंक का ऋण व्यवसाय बंद हो जाने से एवं अकार्यशीलता की श्रेणी में उपरोक्त बैंक के आ जाने से मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-3-3/2012/15-1, दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 से बैंक को अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. अलावा,  
परिसमापक।

(455)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2016-ज्येष्ठ 20, शके 1938

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

##### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, कैलारस (मुरैना), कराहल (श्योपुर), लहार, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा (ग्वालियर), निवाड़ी, पलेरा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर (छतरपुर), रघुराजनगर, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर (सतना), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदबनास, सिहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), मंदसौर, धुन्धड़का (मंदसौर), खाचरोद (उज्जैन), पिपरिया, वनखेड़ी, पचमड़ी (होशंगाबाद), निवास, बिछिया, नैनपुर, मंडला, धुघरी, नारायणगंज (मंडला), छिन्दवाड़ा, तामिया, बिछुआ, पांदुर्ना, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील जुनारदेव, परासिया, चांद, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील हरई (छिन्दवाड़ा), में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील चौरई (छिन्दवाड़ा), में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, दमोह व बंडवानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला ग्वालियर व दमोह में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला मुरैना में फसल सरसों व हरदा में गेहूँ व सिवनी में तुअर व धार, बुरहानपुर में गेहूँ, चना व भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा व पन्ना, सीधी, सीहोर व बालाघाट में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, खोपाल, सीहोर, रायसेन, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाजिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2016

जिला/तहसीलें	1. सासाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर 1. अम्बाह 5.0 2. पोरसा 9.0 3. मुरैना 4.8 4. जौरा 4.0 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस 2.0	मिलीमीटर 2. सरसों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर 1. श्योपुर .. 2. कराहल 4.0 3. विजयपुर ..	मिलीमीटर 2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गना, गेहूँ जौ, चना, राई- सरसों अलसी, धनिया समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर 1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार 1.1 6. मिहोना 13.1 7. रौन ..	मिलीमीटर 2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर 1. ग्वालियर 1.4 2. डबरा 13.4 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव ..	मिलीमीटर 2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गना, उड़द, मूंग, तुअर, मूंगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला दतिया :	मिलीमीटर 1. सेवढ़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर ..	मिलीमीटर 2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर 1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कौलारस .. 7. पोहरी .. 8. बद्रवास ..	मिलीमीटर 2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई- सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	9.0				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	1.0				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल-अधिक, तुअर कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	..				
2. गौरीहार	10.0				
3. नौगांव	8.8				
4. छतरपुर	3.0				
5. राजनपर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, तिल, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. :. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, आलू, प्याज कम (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुलाई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गेहूँ चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियांगढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जबेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	12.7				
2. पझगावां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	6.0				
5. उचेहरा	3.0				
6. अमरपाटन	10.0				
7. रामनगर	5.0				
8. मैहर	9.0				
9. बिरसिंहपुर	..				
*जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. त्याँथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहरी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. राहर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	5.9				
2. अनूपपुर	7.0				
3. कोतमा	3.1				
4. पुष्पराजगढ़	10.8				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. . . 8. पर्याप्त।
1. गोपदवनास	9.2				
2. सिंहावल	4.4				
3. मझौली	6.2				
4. कुसमी	6.0				
5. चुरहट	2.0				
6. रामपुरनैकिन	1.3				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ अधिक अलसी कम। (2) . .	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दसौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, अधिक गेहूँ राई-सरसों कम। (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. . . 8. पर्याप्त।
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	4.0				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	0.8				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक गेहूँ, चना कम। (2) . .	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>जिला रत्लाम :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रत्लाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. खाचरौद	1.0				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना। (2) . .	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. . . 8. पर्याप्त।
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. . . 8. पर्याप्त।
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकछु 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव	..	..			
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. चना, मक्का समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	..	..			
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) गेहूँ चना, मूँगमोठ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कटटीबाडा 4. सोण्डवा 5. च. शे. आ. नगर 6. भामरा	..	..			
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ चना, गन्ना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	..	..			
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अब्देकसगर)	..	..			
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगाव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या	..	..			

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गना अधिक, गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुहानपुर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सरांगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मूसर, मटर, तेवड़ा, की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मूसर, मटर, तेवड़ा, अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. वैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आषा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ तिल, लाख अधिक. चना, मूंग, कम. मटर, धान समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ मटर, मसूर अधिक. चना कम. तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	3.0				
7. बनखेड़ी	4.8				
8. पचमढ़ी	2.2				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
*जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर जौ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2)	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गाड़वारा	..	..			
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	2.0				
2. बिछिया	11.9				
3. नैनपुर	6.1				
4. मण्डला	17.4				
5. घुघरी	1.1				
6. नारायणगंज	4.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
2. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	17.0				
2. जुन्नारदेव	21.2				
3. परासिया	26.2				
4. जामई (तामिया)	13.0				
5. सोंसर	..				
6. पांडुण्ठा	5.0				
7. अमरवाड़ा	16.4				
8. चौरई	188.0				
9. बिल्हुआ	17.3				
10. चांद	30.8				
11. हरई	49.6				
12. बोलखेड़ा	32.0				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. धंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला रीवा, शहडोल, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.